THE UNITED PROVINCES [INDIAN MEDICINE] ACT, 1939
[U. P. ACT No. 10 OF 1939]

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS:-

Part I

Preliminary

1- Short title, extent and commencement

Part II

2- Definitions

3- Establishment of the Board

4- Savings for acts done by the existing Board and its dissolution

5- Constitution of the Board

6- Nomination of member in default of election

7- Disqualifications for membership

8- Notification of elections, nominations and vacancies

9- General election

10- Disabilities for continuing as member

10A- Powers of the Government to appoint Controller.

11- Power of the State Government to remove a member and Chairman of the Board

12- Resignation of a member or President.

13- Filling of casual vacancies in the office of a member or [President]

14- Term of office of a member

15- Eligibility for re-election of members.

16- Validity of proceedings

17- Establishment of Advisory Committees

18- Quorum for a meeting of the Board.

19- Procedure at meetings of Board.

20- Time and place of meeting of the Board.

21- Ommited

22- Payment of expenses.
23- President's Power of control.
24- Registrar and other officers and servants of the Board
25- Maintenance of Register
26- Duties of Registrar.
27- Persons entitled to be registered
28- Amendment of Schedule.
29- Power of Board to call for information from medical institutions
30- Information required of applicants for registration
31- Powers of Board to prohibit entry in or, to direct removal from, the register, etc
32- Notice of deaths and erasure of names from register.
33- Penalty on unregistered person representing that he is registered
34- Procedure in inquiries and appeals
35- Publication of names entered in the register of Vaidyas and Hakims.
36- Powers and duties of the Board
36A- Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi Systems of Medicine.
36B- Powers and duties of the Faculty
36C- Disagreement between the Faculty and the Board.
37- Making of Regulations.
38- Disposal of fees
39- Qualified practitioner's certificates
40- Reservation of certain appointments to Vaidyas and Hakims who have qualified themselves from educational institu-tions affiliated to the hoard
41- Exemption from serving on inquest
42- Rules
43- Appeals to State Government from decision of Board.
44- Bar to suit and other legal proceedings
45- Mode of proof of Board's records

46- Restriction on the summoning of Board's servants to produce documents
47- Control of Board by the State Government
48- Court competent to try offences under this Act and cognizance of offences

Part III

49- Power of the State Government to enforce the provisions of Part III
50- List of practitioners
51- Prohibition to practice
52- Penalty.
53- Ommited
54 Ommited
55- Confering, granting or issuing diploma, licence, etc. by unauthorized person or institution.
56- False assumption of degree, diploma or certificates to be an offence.
Schedule

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1939)

THE UNITED PROVINCES INDIAN MEDICINE ACT, 1939

(U.P. Act No. X of 1939)

THE UNITED PROVINCES [INDIAN MEDICINE][1] ACT, 1939[2]

[U. P. ACT No. X OF 1939]

Amended by

U. P. Act No. XII of 1955

U. P. Act No. VII of 1956

U. P. Act No. VIII of 1957

U. P. Act No. XLII of 1958

U. P. Act No. XXXV of 1975

U. P. Act No. 22 of 1991

U. P. Act No. 10 of 1994

U. P. Act No. 10 of 2015

Adopted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Received the assent of the Governor on September 12, 1939, under section 75 of the Government of Indian Act, 1935 and was published on September 23, 1939.]

AN

ACT

to provide for the Development of the [1][Ayurvedic and Unani Tibbi Systems of medicine] and to regulate their practice in the United Provinces.

Preamble

WHEREAS it is expedient to provide for the development of the [1][Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine] [3][and] to regulate the practice thereof [4](* * *),

It is hereby enacted as follows :

PART I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (i) This Act may be called the United Provinces Indian Medicine Act, 1939.

---

1. *Subs.* by s. 3 (a) of U. P. Act no. VII of 1956.
2. For S. O. R., see *Gazette.* 1938 Pt. Viii, p. 1231.
3. The word [and] substituted by s. 2 (a) of U. P. Act VII of 1956.
4. *Omitted* by s. 2 (b) *ibid.*

संयुक्त प्रान्त [भारतीय चिकित्सा][1] अधिनियम, 1939[2]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1939]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1955

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1956

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1957

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 42, 1958

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1991

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2015

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत गवर्नमेंन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 12 सितम्बर, 1939 को स्वीकृति प्रदान की तथा दिनांक 23 सितम्बर, 1939 को प्रकाशित हुआ ।

संयुक्त प्रान्त में [1][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों] के विकास की व्यवस्था करने तथा उनके व्यवसाय को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि [1][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों] के विकास की व्यवस्था की जाय [3][और] उनका व्यवसाय विनियमित किया जाय [4][* * *] ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

भाग—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 कहलाएगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट 1938, भाग 8, पृष्ठ 1231 देखियें।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 2 (क) द्वारा शब्द (और) प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निकाले गये।

(ii) It extend[1] to the whole of [2][Uttar Pradesh] except the Jaunsar-Bawar Pargana of the Dehra Dun District and the portion of the Mirzapur District, south of the Kaimur Range.

(iii) Parts I and II of this Act shall come into force on such date as the [3][State Government] may, by notification in the official *Gazette*, appoint. Part III shall come into force on such [4][date] after the expiry of one year from the date on which Parts I and II come into force, as the [3][State Government] may notify under section 49.

PART II

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

---

1. This Act has been extended to the area mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area ;

Areas	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
1. Rampur District	Rampur (Applica -tion of Laws) Act, 1950.	No. 108/XVII—345-49, Jan. 19, 1952, in Gaz., 1952, pt. I, p. 70.	January 26, 1952.
2. Portion of Banaras District covered by erstwhile Banaras State.	Banaras (Applica -tion of Laws) Order, 1949.	No. 106/XVII—204-50, dt. Jan. 19, 1952, in Gaz., 1952, Pt. I, p. 70.	Ditto.
3. Tehri-Garhwal District	Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949	No. 107/2 XVII—344-49, dt. Jan. 19, 1952, in Gaz., 1952, Pt. I, p. 70.	Ditto.

2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (the United Provinces.)

3. Part I and II of this Act came into force on October 1, 1946, *see* notification no. 24-14/V-94-46, dated June 12, 1946 in *Gaz.,* dated June 15, 1946, Pt-1, P. 219.

4. Sections 49, 53, 55 and 56 of Pt. III of the Act came into force with effect from March 1, 1952, in the whole of Uttar Pradesh, excepting the territories of the erstwhile States of Banaras, Rampur, Tehri-Garhwal, and the erstwhile partially excluded areas of Jaunsar Bawar in district Dehra Dun and the areas south of the Kaimur Range in Mirzapur District, see notification 3297-B—1/V—1069-51, dated March 5, 1952, in Gaz., dated March 8, 1952, Part. 1, p. 212.

(2) इसका विस्तार[1] देहरादून जिले के जौनसार बाबर परगने के सिवाय और मिर्जापुर जिले के उस भाग के सिवाय जो कैमूर पहाड़ियों के दक्षिण मे है, सम्पूर्ण [2][उत्तर प्रदेश] में होगा ;

(3) इस अधिनियम के भाग 1 तथा 2 ऐसे [3][दिनांक] से प्रवृत्त होंगे जिसे [4][राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। भाग 3 जिस दिनांक को भाग 1 और 2 प्रवृत्त हो जायें, उस दिनांक से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसे [3][दिनांक] से प्रवृत्त होगा जिसे [4][राज्य सरकार] धारा 49 के अधीन अधिसूचित करे ।

भाग – 2

2–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,– **परिभाषायें**

1. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है प्रवृत्त किया गया है ;

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत विस्तार किया गया	विज्ञप्ति यदि कोई हो जिनके अंतर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	संख्या 108/सत्रह 345–49, दि0 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में भाग 1, पृष्ठ 70 पर	26 जनवरी, 1952
2– बनारस जिले का वह भाग जो भूतपूर्व बनारस राज्य में सम्मिलित था	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	संख्या 106/सत्रह 204–50, दि0 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में भाग 1, पृष्ठ 70 पर	तदैव
3– जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	संख्या 107/सत्रह 344–49, दि0 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में खंड 1, पृष्ठ 70 पर	तदैव

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. इस अधिनियम के भाग 1 और 2 दिनांक 1 अक्टूबर, 1946 को प्रवृत्त हुए, दिनांक 15 जून, 1946 के गजट भाग 11 पृष्ठ 219 मे अधिसूचना संख्या 2414/पांच 94–46, दिनांक 12 जून, 1946 देखियें ।

4. इस अधिनियम के भाग–3 की धारायें 49, 53, 55 तथा 56 भूतपूर्व बनारस, रामपुर, टीहरी गढ़वाल राज्यों के क्षेत्रों तथा देहरादूर जिले के जौनसार बाबर के भूतपूर्व असम्मिलित क्षेत्रों और मिर्जापुर जिले की कैमूर पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 1 मार्च, 1952 से प्रवृत्त हुई, दिनांक 8 मार्च, 1952 के गजट भाग 1, पृष्ठ 212 में अधिसूचना संख्या 3297–बी–1/पांच–1069–51, दिनांक 5 मार्च, 1952 देखिये।

(i) "Board" means the Board of [1][Ayurvedic and Unani Tibbi Systems of Medicine] [2][Uttar Pradesh] constituted under section 3.

(ii) "Indian system of medicine" means the Ayurvedic or the Unani Tibbi system of medicine, whether supplemented or not by such modern advances as the Board may from time to time have determined.

(iii) "President" means the President of the Board.

[3][(iii-a) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(iii-b) "Faculty" means "Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" constituted under section 36-A.]

(iv) "Member" means a member of the Board.

[4] [(iv-a) 'Para-medical course, means a course of study approved by the Board for the training compounders, nurses and midwives in the Ayurvedic or Unani-Tibbi Systems of medicine and surgery.]

[4](v) "Practitioner" means a practitioner of an [Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine.]

(vi) "Prescribed" means prescribed by rules framed by the [2][State Government] in accordance with the provisions of this Act.

(vii) "Register" means the register of Vaids and Hakims, maintained under section 25.

(viii) "Registered practitioner" means a practitioner whose name is for the time being entered in the register.

(ix) "Registrar" means the Registrar appointed under section 24.

(x) "Vaidya" means a practitioner of Ayurvedic system of medicine[5] [and Surgery].

(xi) "Hakim" means a practitioner of Unani Tibbi system of medicine [and surgery][5].

(xii) [6][* * * *]

(xiii) [6][* * * *]

Establishment of the Board

3. (1) The [7] [State Government] shall, by notification in the official Gazette, establish in manner provided in sub-section (1) of

1. *Add.* by s. 4 (a) of U. P. Act VII of 1956.
2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Prov. Govt.)
3. *Add.* by s. 4 (a) of U. P. Act VII of 1956.
4. *Add.* by s. 2 of U. P. Act no. XXXV 1975.
5. The words (and surgery) add. by s. 4 (b) and (c) of U. P. Act VII of 1956.
6. *Omit.* by s. 4 (d) of U. P. Act VII of 1956.
7. *Subs.* by the A. O. 1950 for (United Provinces).

(1) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित [1][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] बोर्ड, [उत्तर प्रदेश][2] से है ।

(2) "आयुर्वेदिक तथा यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति" का तात्पर्य आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से है, चाहे उसकी अनुपूर्ति ऐसे आधुनिक प्रगतिशील तरीकों द्वारा की गयी हो या नही जिन्हें बोर्ड ने समय–समय पर अवधारित किया हो ।

(3) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है ।

[3][(3–क) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(3–ख) "संकाय" का तात्पर्य धारा 36–क के अधीन संघटित "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति संकाय" से है ।]

(4) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है ।

[4][(4–क) "अनुचिकित्सीय पाठ्यक्रम" का तात्पर्य आयुर्वेदिक अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति और शल्य कर्म में कम्पाउन्डरों, नर्सों तथा धात्रियों के प्रशिक्षण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से है ;]

(5) "चिकित्सा–व्यवसायी" का तात्पर्य [1][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] के चिकित्सा–व्यवसायी से है ।

(6) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार [5][राज्य सरकार] द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ।

(7) "रजिस्टर" का तात्पर्य धारा 25 के अधीन बैद्यों और हकीमों के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रजिस्टर से है ।

(8) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है जिसका नाम रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट हो ।

(9) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है ।

(10) "वैद्य" का तात्पर्य आयुर्वेदिक चिकित्सा [5][तथा शल्य कर्म] पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी से है ।

(11) "हकीम" का तात्पर्य यूनानी तिब्बी चिकित्सा [5][तथा शल्य कर्म] पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी से ।

(12) [6][* * * *]

(13) [6][* * * *]

बोर्ड की स्थापना

3– इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. मूल रूप से हिन्दी पारित उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (ख) तथा (ग) द्वारा शब्द (ऐण्ड सर्जरी) बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (घ) द्वारा निकाला गया।

section 5, a Board to be called the Board of Indian Medicine, [1][Uttar Pradesh] for the purpose of carrying out the provisions of this Act. Such Board shall be a body corporate and have perpetual succession and a common seal and may by the said name sue or be sued.

Savings for acts done by the existing Board and its dissolution

4. (1) On the date the first Board is constituted under the provisions of this Act, the existing Board of Indian Medicine shall cease to exist and all its assets and liabilities shall devolve upon the Board so constituted.

(2) All acts begun or completed by the Board of Indian medicine in existence on the date of constitution of the first Board shall, in so far as they relate to the functions allotted to the Board constituted under this Act, be deemed to have been begun or performed by the Board constituted under this Act, and such acts may be carried on and completed by or under the authority of the Board so constituted.

Constitution of the Board

[2] **[5.** (1) The Board shall consist of the following members including the President) —

(i) a President to be nominated by the State Government ;

(ii) five members to be nominated by the State Government ;

[3][(iii) one member each from a University established by law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi Systems of medicine to be elected in the prescribed manner by such Faculty ;

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh ;

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected in the prescribed manner by the teachers of such institutions as are affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh ;]

(vi) nine members (six Vaidyas and three Hakims) to be elected in the prescribed manner by the registered Vaidyas and Hakims, respectively of Uttar Pradesh;

Provided that the President and every member to be elected or nominated as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice President.]

---

1 . *Subs.* by the A. O. 1950 for [United Provinces.]

2. *Subs.* by s. 5 of U. P. Act no. VII of 1956.

3. *Subs.* by s. 3 of U. P. Act 35 of 1975.

[1][राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड धारा 5 की उपधारा (1) में उपबन्धित रीति से स्थापित करेगी जो आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड [2] [उत्तर प्रदेश] कहलायेगा। वह बोर्ड निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

विद्यमान बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के लिये व्यावृत्तियां और उसका विघटन

4–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रथम बोर्ड के संघटित होने के दिनांक को विद्यमान भारतीय चिकित्सा बोर्ड अस्तित्वहीन हो जायगा और उसकी समस्त आस्तियां तथा दायित्व इस प्रकार संघटित बोर्ड की न्यायगत हो जायेंगे।

(2) प्रथम बोर्ड के संघटन के दिनांक को विद्यमान भारतीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रारम्भ या पूरे किये गये समस्त कार्य, जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध इस अधिनियम के अधीन संघटित बोर्ड को आवंटित कृत्यों से है, इस अधिनियम के अधीन संघटित बोर्ड द्वारा प्रारम्भ या पूरे किये गये समझे जायेंगे, और ऐसे कार्य इस प्रकार संघटित बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन, जारी रखें और पूरे किये जा सकेंगे ।

बोर्ड का संघटन

[3][**5**– (1) बोर्ड मे अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य होंगे : ––

(1) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(2) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;

[4] [(3) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, एक–एक सदस्य जिन्हें विहित रीति के ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(4) उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किये जायेंगे ;

(5) उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किया जायेगा।]

(6) नौ सदस्य (छः वैद्य तथा तीन हकीम) जो विहित रीति से, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रीकृत क्रमशः वैद्यों तथा हकीमों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष तथा खण्ड (2), (4) और (5) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित किया जाने वाला प्रत्येक सदस्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से होगा ।

(2) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा ।]

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविंशियल) के लिये प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

Nomination of member in default of election

6. If any electoral body referred to in sub-section (1) of section 5 fails, by such date as may be prescribed to elect the requisite number of member or members which it is entitled to elect, the [1] [State Government] shall fill up the vacancy or vacancies by nomination of a person or persons qualified to be elected by the particular electoral body concerned.

Disqualifications for membership

7. No person shall be qualified to be elected or nominated as a member of the Board —

(a) who is an undischarged insolvent ;

(b) who has been adjudicated by a competent court to be insane or of unsound mind ;

(c) who has been convicted of an offence declared by Government to involve moral turpitude ;

(d) whose name has been removed from the register ; or

(e) who is an employee of the Board or has directly or indirectly or by himself or a partner of any contract or any share of the Board, unless in the latter case Government remove the disqualification.

Notification of elections, nominations and vacancies

8. Every election or nomination of a member or President of the Board and every vacancy in the office of member or President shall be notified in the official *Gazette*.

General election

[2]**[9.** There shall be general election of members of the Board before the expiry of their term or extended term, as the case may be, under section 14, on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette* appoint in that behalf.]

Disabilities for continuing as member

10. (1) If any member, during the period for which he has been nominated or elected —

(a) absents himself without sufficient cause from three consecutive ordinary meetings of the Board ; or

(b) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 7 ; or

(c) being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding civil or criminal against the Board, or

(d) obtains any employment under the Board or has without the previous sanction of Government acquired directly or indirectly by himself or by a partner any share or interest in any contract, with, by or on behalf of the Board ;

the Board may remove him from membership :

Provided that before removing a member under this sub-section, the Board shall call for his explanation and record its *finding* thereon.

1. *Subs.* by the A.O. 1950 for (Provincial Government).
2. *Subs.* by s. 2 of U. P. Act 12 of 1955.

6–यदि धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय उस दिनांक तक जो विहित किया जाय, अपेक्षित संख्या में ऐसे सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन नही करता जिसे या जिन्हें निर्वाचित करने का वह हकदार है, तो [1][राज्य सरकार] ऐसी रिक्ति या रिक्तियों की पूर्ति उसी सम्बद्ध निर्वाचन निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिए अर्ह व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम निर्देशन द्वारा करेगी । निर्वाचन करने में चूक किये जाने पर सदस्यों का नाम निर्देशन

7–कोई ऐसा व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्देशित किये जाने के लिये अर्ह न होगा –– सदस्यता के लिये अनर्हतायें

(क) जो अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ख) जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त या विकृत चित्त निर्णीत हुआ हो ;

(ग) जो ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो जिसे राज्य सरकार द्वारा नैतिक पतन में अन्तर्वलित अपराध घोषित किया गया हो ;

(घ) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो ; या

(ङ) जो बोर्ड का कर्मचारी हो या जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या स्वयं या किसी भागीदार के द्वारा किसी ऐसी संविदा में कोई अंश या हित हो जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई हो, जब तक कि पश्चात् कथित दशा में राज्य सरकार ऐसी अनर्हता को न हटाये।

8–बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के प्रत्येक निर्वाचन या नाम निर्देशन तथा सदस्य या अध्यक्ष के पद की प्रत्येक रिक्ति को सरकारी गजट मे अधिसूचित किया जायगा । निर्वाचनों, नाम निदेशनों तथा रिक्तियों की अधिसूचनायें

9–[2][बोर्ड के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन धारा 14 के अधीन, यथास्थिति, उनकी पदावधि या बढ़ाई गई पदावधि के समाप्त होने के पूर्व ऐसे दिनांक या दिनांकों को होगा जो राज्य सरकार उस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।] सामान्य निर्वाचन

10–(1) यदि उस अवधि के दौरान जिसके लिये कोई सदस्य नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया हो –– सदस्य बने रहने के लिये निर्योग्यतायें

(क) वह बोर्ड की लगातार तीन साधारण बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहे ; या

(ख) उसमें धारा 7 में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई भी अनर्हता हो जाय ; या

(ग) वह विधि व्यवसायी होने के नाते बोर्ड के विरूद्ध किसी वाद या कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, उपसंजात हो ; या

(घ) वह बोर्ड के अधीन कोई सेवायोजन प्राप्त कर ले या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी भागीदार द्वारा किसी ऐसी संविदा में कोई अंश या हित अर्जित कर ले जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी हो ;

तो बोर्ड उसे सदस्यता से हटा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड इस उपधारा के अधीन किसी सदस्य को हटाने के पूर्व स्पष्टीकरण मांगेगा और उस पर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविंशियल) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1955 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall after such notice as may be prescribed, be removable by the State Government alone.]

Powers of the Government to appoint controller

[2][**10-A.** (1) Where the number of members of the Board for the time being is, for any reason whatsoever, reduced to less than the quorum provided in section 18, the State Government may, by notification, supersede the Board and appoint a Controller for such period not exceeding [3][four years] as may be specified in the notification or up to the date of notification under sub-section (4) whichever is earlier.

(2) Upon the appointment of the Controller under sub-section (1),—

(a) all members of the Board including the President and the Vice-President shall, cease to be such members, President or Vice President ;

(b) the advisory Committee, if any, appointed under sub-section (1) of section 17 shall stand dissolved ;

(c) all members (including the Chairman) of the Faculty, except the Director of Ayurvedic and Unani Services, Uttar Pradesh shall cease to hold office and the Controller, together with the aforesaid Director shall constitute the Faculty ;

(d) all powers, functions and duties of the Board, the President and the Vice-President shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the Controller and the Controller shall be deemed to be the Board, the President or the Vice-President as the occasion may require.

(3) As soon as may be after the appointment of the controller the State Government shall take steps to nominate a President and other members under clauses (1) and (2) of sub-section (1) of section 5 and to hold elections of members under clauses (3), (4), (5) and (6) of that sub-section.

(4) As soon as the elections or nominations, as the case may be, of atleast such number of members as is required under section 18 for the quorum (including the President) are notified under section 8, the State Government may by notification declare that the Board is reconstituted and thereupon the Controller shall cease to function.]

Power of the State Government to remove a member and President of the Board

11. Any member removed by the Board under the provisions of section 10, may within ninety days from the date of his removal, appeal to the [4][State Government] and the order of the [4][State Government] on any such appeal shall be final.

1. *Subs.* by s. 6 of U. P. Act VII of 1956.
2. *Ins.* by sec. 2 of U. P. Act No. 22 of 1991.
3. *Subs.* by *sec.* 2 of U.P. Act No. 10 of 1994.
4. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).

[1][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, भी अध्यक्ष या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् जो विहित किया जाय, केवल राज्य सरकार द्वारा ही हटाया जा सकेगा।]

[2] [**10–क**–(1) जहाँ किसी भी कारण से तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटकर धारा 18 में व्यवस्थित गणपूर्ति से कम हो जाय, वहाँ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को अतिक्रमित कर सकती है और [3][चार वर्ष] से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक तक के लिये, जो भी पहले हो, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है । **नियंत्रक नियुक्त करने की सरकार की शक्ति**

(2) उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक की नियुक्ति होने पर ––

(क) बोर्ड के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है, ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नही रह जायेंगे ;

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति, यदि कोई हो, विघटित हो जायेंगी ;

(ग) निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश का छोड़कर संकाय के समस्त सदस्य (जिसके अन्तर्गत चेयरमैन भी है) पदारूढ़ नहीं रहेंगे और नियंत्रक उपर्युक्त निदेशक के साथ संकाय गठित करेंगे ;

(घ) बोर्ड, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य नियंत्रक में निहित होंगे और उनकी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक द्वारा किया जायेगा और अवसर के अनुसार जैसा अपेक्षित हो, नियंत्रक को बोर्ड अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समझा जायेगा ।

(3) नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नाम–निर्दिष्ट करने और उक्त उपधारा के खण्ड (3), (4), (5) और (6) के अधीन सदस्यों का निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगी ।

(4) जैसे ही धारा 18 के अधीन गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की न्यूनतम संख्या की धारा 8 के अधीन यथास्थिति, चुनाव या नामांकन अधिसूचित कर दिया जाय, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकती है कि बोर्ड का पुनर्गठन हो गया है और तदपुरान्त नियंत्रक काम करना बन्द कर देगा ।]

11– धारा 10 के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा हटाया गया कोई सदस्य, अपने हटाये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर [4][राज्य सरकार] को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर [4][राज्य सरकार] का आदेश अंतिम होगा । **बोर्ड में किसी सदस्य तथा अध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति**

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1991 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

Resignation of a member or President

12. [1][(1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation after due verification shall take effect from the date on which it is accepted by the Board.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation when accepted shall be published in the official *Gazette* and shall take effect from the date notified therein.]

Filling of casual vacancies in the office of member or President

13. (1) If a member or President of the Board dies or resigns or from any cause whatsoever ceases to be a member or President as the case may be, the vacancy so created shall be filled by a fresh election as the case may be, within such period as may be prescribed.

(2) The term of a member or President elected or nominated to fill up the vacancy mentioned in sub-section (1) shall be the remainder of term of office of the member or President in whose place he has been so elected or appointed :

Provided that in the case of an elected member, if the vacancy is for a period of six months or less, the Board may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election.

Term of office of a member

14. Save as otherwise provided in this part, the term of office of the President or a member of the Board shall be three years ;

[2][Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend, from time to time, the term of the President, and all members of the Board so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.]

[3][* * * *]

[4][* * * *]

Eligibility for re-election of outgoing members

15. A member shall, on the expiry of his term of Office, be eligible for re-nomination or re-election ;

[5][* * * *]

Validity of proceedings

16. No disqualification of, or defect in the election or nomination of any person acting as a member of the Board or as the President or presiding authority of a meeting shall be deemed to vitiate any act or proceedings of the Board in which such person has taken part, if the majority of persons who took part in such act or proceedings were duly qualified members of the Board.

---

1. *Subs.* by S. 7 of U. P. Act VII of 1956.
2. *Add.* by S. 3 (a) of U. P. Act XII of 1955.
3. *Omit.* by S. 8 of U. P. Act XII of 1956.
4. *Omit.* By item 3 (ii) of the second Schedule to U. P. Act XLII of 1956.
5. *Dele.* By S. 9 of U. P. Act VII of 1956.

[1][12–(1) कोई निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यापगत्र दे सकेगा । ऐसा त्यागपत्र, यथोचित सत्यापन के पश्चात् उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को वह बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाय । — किसी सदस्य या अध्यक्ष का त्यागपत्र

(2) अध्यक्ष या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य जो अपना त्यागपत्र देना चाहे, बोर्ड को सूचित करते हुए राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र भेज सकेगा । ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत होने पर सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और उसमें अधिसूचित दिनांक से प्रभावी होगा।]

13– (1) यदि बोर्ड के किसी सदस्य या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाय या वह त्यागपत्र दे दे या किसी भी कारण से, यथास्थिति, सदस्य अथवा अध्यक्ष न रह जाय तो, इस प्रकार हुई रिक्ति उतनी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, यथास्थिति, नये निर्वाचन या नामनिर्देशिनी द्वारा भरी जायगी । — सदस्य या अध्यक्ष के पद की हुई आकस्मिक रिक्तयों का भरा जाना

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्देशित किसी सदस्य या अध्यक्ष की पदावधि उस सदस्य या अध्यक्ष की पदावधि की शेष अवधि होगी जिसके स्थान पर वह इस प्रकार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचित सदस्य की दशा में, यदि रिक्ति छः महीने या इससे कम अवधि के लिये हो, तो बोर्ड यह निर्देश दे सकता है कि वह रिक्ति आगामी सामान्य निर्वाचन तक बिना भरे ही छोड़ दी जाए ।

14–जैसा कि इस भाग में अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी ; — सदस्य की पदावधि

[2][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष तथा समस्त सदस्यों की पदावधि समय–समय पर इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न हो।]

[3][* * * *]

[4][* * * *]

15–कोई सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र होगा । — पदावरोही सदस्यों की पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता

[5][* * * *]

16–बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में या किसी बैठक में पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई अनर्हता या उसके निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन में कोई त्रुटि, बोर्ड के किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही को, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया हो, दूषित करने वाली न समझी जायगी यदि ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने ऐसे कार्य या कार्यवाही में भाग लिया हो, अधिकांश व्यक्ति बोर्ड के यथाविधि अर्ह सदस्य हों। — कार्यवाहियों की वैधता

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1955 की धारा 3 (क) द्वारा अंतर्विष्ट ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1958 की द्वितीय अनुसूची के आइटम 3 (2) द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।

Establishment of Advisory Committees

17. (1) The Board may, subject to the rules made by [1][State Government] for this purpose, by a resolution in that behalf, appoint an advisory committee which may consist of as many of its own members or outsiders co-opted for that purpose it deems fit and may appoint a convener who shall preside over the meetings of such committee. In the absence of the convener, the committee may elect any of its members for this purpose.

(2) All questions at a meeting of the Board shall be decided by the voice of the majority of the members present and voting at the meeting. In case of equality of votes, the member presiding shall have in addition to his vote as a member of the Board a second or casting vote.

(3) No business shall be transacted at any meeting of a committee when either less than two members or less than one fourth of the members constituting the committee, whichever is more, are present.

Quorum for a meeting of the Board

[2]**[18.** The quorum of the Board shall be eight members but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Provided that at an adjournment meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum may be transacted if not less than five members are present.]

Procedure at meetings of Board

19. (1) The President or in his absence the *Vice-President* shall preside at every meeting of the Board. In the absence of both, the members present shall elect one among themselves for this purpose.

(2) All questions at a meeting of the Board shall be decided by the voice of the majority of the members present and voting at the meeting. In case of equality of votes the member presiding, shall have in addition to his vote as a member of the Board a *second or casting vote.*

Time and place of meeting of Board

20. The Board shall meet at such time and place and every meeting of the Board shall be summoned in such manner as may be provided by the regulations :

Provided that until regulations are made, it shall be lawful for the President to summon a meeting of the Board at such time and place as he may deem expedient by a letter addressed to each member on a clear notice of fifteen days.

21. [3][* * * *]

Payment of expenses

22. (1) There shall be paid to the members of the Board such travelling and other expenses [4][***]as may be prescribed.

---

1. *Subs.* by S. 3 (b) of U.P. Act No. 7, 1956
2. *Subs.* by S. 10 of U. P. Act VII of 1956.
3. *Omit.* by S. 11 *ibid.*
4. *Omit.* by S. 12 *ibid.*

सलाहकार समितियों की स्थापना

17–(1) इस प्रयोजन के लिए [1][राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड, उस निमित्त संकल्प द्वारा, एक सलाहकार समिति किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसे वह उचित समझें, नियुक्त कर सकेगा जिसमें उसके अपने उतने सदस्य या उस प्रयोजन के लिए सहयोजित उतने बाहरी व्यक्ति या दोनो ही होंगे जितने वह विनिश्चित करे और वह एक संयोजक भी नियुक्त कर सकेगा जो ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । संयोजक की अनुपस्थिति में, समिति अपने सदस्यों में से किसी को भी इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित कर सकेगी ।

(2) समिति की बैठक मे समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

(3) समिति की किसी बैठक में कोई कार्य उस दशा में सम्पादित नही किया जायगा जब उसमें दो या दो से कम सदस्य या समिति को संघटित करने वाले सदस्यों के एक चौथाई से कम सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, उपस्थित हों ।

बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति

[2][**18**–बोर्ड की गणपूर्ति आठ सदस्यों से होगी, किन्तु उसके अधीन रहते हुए बोर्ड उनकी संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थगित बैठक में यदि पांच से अन्यून सदस्य उपस्थित हों तो मूल बैठक में गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किया गया समस्त कार्य उसमें सम्पादित किया जा सकेगा ।]

बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया

19–(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा । दोनों के अनुपस्थिति होने पर, उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित करेंगे ।

(2) बोर्ड की बैठक में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का, बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

बोर्ड की बैठक का समय और स्थान

20–बोर्ड की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थान पर होगी और बोर्ड की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से बुलाई जाएगी जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे विनियम नही बनाये जाते, अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा, पन्द्रह दिन का स्पष्ट नोटिस देकर, बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान तथा समय पर जिसे वह इष्टकर समझे, बुलाए ।

21– [3][* * * *]

व्ययों का भुगतान

22– (1) बोर्ड के सदस्यों को ऐसे यांत्रिक और, अन्य व्ययों [4][X X X] का भुगतान किया जायगा, जो विहित किए जायें ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा निकाली गयी ।
4. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा निकाले गये ।

(2) No member shall receive any pay or special pay :

Provided that the President may receive pay, allowance or emoluments, sanctioned by Government according to prescribed rules.

President's Power of control

23. All officers and servants of the Board shall be under the direct control and supervision of the President and shall abide by his orders.

Registrar and other officers and servants of the Board

24. (1) The Board shall, with the previous approval of Government, appoint a Registrar who shall be the Secretary to the Board. The Registrar shall receive such salary and allowances as may be prescribed by rules. The President may from time to time grant him leave and may temporarily appoint a person to act in his place. Any person duly appointed to act as Registrar shall be deemed to be the Registrar for all purposes of this Act.

(2) Any order of the Board, appointing, punishing or removing the Registrar from his office, shall be subject to the approval of the [1][State Government.]

(3) The Board may appoint such other officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act :

Provided that the number and designations of such officers and servants, their salaries and allowances, shall be subject to the previous approval of the [1][State Government :]

Provided also that the powers of the Board to punish, dismiss, discharge and remove any officer or servant of the Board, shall be subject to any rules framed by the [1][State Government] in this behalf.

(4) All questions of pay, allowances, promotions, leave, pension and provident fund relating to the staff, shall be governed by rule generally applicable to servant of the State Government of similar status.

Act XLV of 1860

(5) The registrar or any other officer or servant appointed under this section, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Maintenance of register

25. The [2][Registrar] shall maintain a register or registers of Vaidyas [2][and] Hakim, practicing in [3][Uttar Pradesh] in the prescribed form.

Duties of Registrar

26. (1) Subject to the provisions of this Act and subject to any general and special orders of the Board, it shall be the duty of the Registrar to keep the register and discharge such other functions as are required to be discharged by him under this Act or by any rules framed by the [1][State Government].

---

1. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
2. *Subs.* by S. 13 of U. P. Act VII of 1956.
3. *Subs.* by A. O. 1950 for [The United Provinces].

(2) किसी भी सदस्य को कोई वेतन या विशेष वेतन नहीं मिलेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष विहित नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियों प्राप्त कर सकेगा ।

23–बोर्ड के समस्त अधिकारी और सेवक अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रक तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे और उसके आदेशों का पालन करेंगे । अध्यक्ष की नियंत्रण की शक्ति

24–(1) बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार को नियुक्त करेगा जो बोर्ड का सचिव होगा । रजिस्ट्रार ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जायें । अध्यक्ष उसें समय–समय पर छुट्टी स्वीकृत कर सकेगा और उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा । रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए यथाविधि नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा। बोर्ड के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

(2) रजिस्ट्रार को नियुक्त करने, उसे दण्ड देने या उसे पद से हटाने का बोर्ड का कोई भी आदेश [1][राज्य सरकार] के अनुमोदन के अधीन होगा।

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधिकारियों और सेवकों की संख्या, उनके पदनाम तथा वेतन और भत्ते [1][राज्य सरकार] के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक को दण्ड देने पदच्युत करने, सेवोनमुक्त करने और पद से हटाने का बोर्ड की शक्तियां [1][राज्य सरकार] द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होंगी ।

(4) कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति, छुट्टी, पेंशन, तथा भविष्य निधि से सम्बन्धित समस्त प्रश्न उन नियमों से शासित होंगे जो [1][राज्य सरकार] के इसी प्रास्थिति के सेवकों पर समान्यता लागू होते है ।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी अथवा सेवक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा । अधिनियम सं0 45, 1860

25–[2] [रजिस्ट्रार] [3][उत्तर प्रदेश] में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले वैद्यों [2][तथा] हकीमों के रजिस्टर या रजिस्टरों की विहित प्रपत्र में रखेगा । रजिस्टर का रखा जाना

26–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा बोर्ड के किन्हीं सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा, कि वह रजिस्टर रखें और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जिनका इस अधिनियम के अधीन या [1][राज्य सरकार] द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार उसके द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित हो । रजिस्ट्रार का कर्त्तव्य

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (प्रविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा दि युनाइटेड प्राविन्सेज के लिए प्रतिस्थापित ।

(2) The Registrar shall, so far as practicable, keep the register correct and up-to-date and may, from time to time, enter therein any material alteration in the addresses or qualifications of the practitioners. He shall also remove from the register, the name of the registered practitioners who die or who cease to be qualified as such.

(3) The [1][State Government] may direct that no alteration in the entries in respect of additional qualifications shall be made, unless such fee as may be prescribed is paid.

(4) For the purpose of this section, the Registrar may write to any registered practitioner, at the address which is entered in the register to inquire whether he has ceased to practice or has changed his residence, and if no answer is received to the said letter within three months, the Registrar may issue a registered reminder, and in case no reply is received to the reminder within one month from the date of its issue, he may remove the name of the said practitioner from the register ;

Provided that the Board may, if it thinks fit, direct that the name of the said practitioner be re-entered in the register.

Persons entitled to be registered

[2][**27.** (1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be prescribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the Register. When the name of a person has been registered in accordance with the provisions aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

(3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(4) The Board may, on its own motion or on the application of any person, cancel or alter any entry in the Register or order any entry in the register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained, or an application was wrongly refused.]

Amendment of Schedule

28. If the Board is satisfied —

[(a) that a title or degree granted or qualification certified by a University, Medical Corporation, Examining Body or other institutions in India is a sufficient guarantee that persons holding such a title or degree or qualification possess the knowledge or skill requisite for the efficient practice of [3][Ayurvedic or Unani Tibbi System of Medicine, or]

---

1. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
2. *Subs.* by s. 14 of U. P. Act VII of 1956.
3. *Subs.* by s. 15 of U. P. Act VII of 1956

(2) रजिस्ट्रार रजिस्टर को यथाव्यवहार्य शुद्ध और अद्यवधिक रखेगा और उसमें समय–समय पर चिकित्सा व्यवसायियों के पते या अर्हताओं में हुए सारवान परिवर्तन प्रविष्ट करेगा । वह रजिस्टर से ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नाम भी हटा देगा जिनकी मृत्यु हो जाय जो इस प्रकार अर्ह न रहजायें ।

(3) [1][राज्य सरकार] यह निदेश दे सकेगी कि अतिरिक्त अर्हताओं के सम्बन्ध में प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी फीस का, जो विहित की जाय, भुगतान न कर दिया जाय ।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को उस पते पर, जो रजिस्टर में प्रविष्ट हो, यह ज्ञात करने के लिए लिख सकेगा कि क्या उसने चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया है या अपना निवास स्थान बदल दिया है और यदि उक्त पत्र का कोई उत्तर तीन मास के भीतर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत अनुस्मारक भेज सकेगा और यदि उक्त अनुस्मारक के भेजे जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उसका उत्तर न प्राप्त हो, तो वह उक्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड, यदि उचित समझे तो, उक्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट करने का निदेश दे सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण के हकदार व्यक्ति

[2] [**27**–(1) प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूची में उल्लिखित अर्हतायें रखता हो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या उसके अधीन किए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का, जो विहित की जाय, चाहे एकमुश्त या कालिक रूप से, भुगतान करने पर रजिस्ट्रार को आवेदन देकर रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा। पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर उसे विहित प्रपत्र में एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के उस आदेश से व्यथित हो जिससे रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करने से या कोई प्रविष्टि करने से इन्कार किया गया हो, इस प्रकार इन्कार किए जाने के नब्बे दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(3) बोर्ड विहित रीति से उस अपील की सुनवाई करेगा तथा उसका विनिश्चय करेगा ।

(4) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा अथवा रजिस्टर में कोई प्रविष्टि करने का आदेश दे सकेगा, यदि बोर्ड की राय में ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से की गयी थी या प्राप्त की गई थी या आवेदन को गलत ढंग से अस्वीकृत किया गया था ।]

अनुसूची का संशोधन

28– यदि बोर्ड का समाधान हो जाय कि ––

(क) भारत के किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा निगम, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई पदवी या उपाधि या प्रमाणित कोई अर्हता इस बात की पर्याप्त गारन्टी है कि ऐसी पदवी या उपाधि या अर्हता रखने वाले व्यक्ति को ऐसा ज्ञान या ऐसी प्रवीणता प्राप्त है जो [3][आयुर्वेदिक या यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति] के अनुसार दक्षतापूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित है, या

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (अविन्शिमल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(b) that such a title, degree or qualification is not sufficient guarantee as aforesaid, it may direct —

(i) in the case mentioned in clause (a), that the possession of such title, degree or qualification shall, subject to the provisions contained in this Act, and on payment of such fee as may be prescribed in this behalf, entitle a person to have his name entered in the register of Vaidyas, Hakims as the case may be, or

(ii) in the case mentioned in clause (b) that the possession of such title, degree or qualification shall not entitle a person to have his name entered in such register ; and the Schedule annexed hereto shall thereupon be deemed to have been altered accordingly.

Power of Board to call for information from medical institution

29. The Board shall have power to call upon the governing body or authorities of a medical Corporation, examining body for other institutions included in or desirous of being included in the Schedule —

(a) to furnish such reports, returns or other information as the Board may require to enable it to judge the efficiency of the instruction given therein in medicine, surgery or mid-wifery ; and

(b) to provide facilities to enable a member of the Board, deputed by the Board in this behalf to be present at the examinations held by such Medical Corporation, examining body or other institutions.

Information required of applicants for registration

30. Every person who applies to have his name entered in the register of Vaidyas or Hakims, must satisfy the Registrar that he is possessed of some degree, title or qualification specified in the Schedule ; and he must inform the Registrar of the date on which he obtained the degree, title or qualification which entitles him to claim registration under this Act, and shall furnish any other information required by the Registrar in order to enable him to discharge his duties under this Act.

Powers of Board to prohibit entry in or to direct removal from the register etc.

31. (1) The Board may prohibit the entry, in or order the removal from, the register of the name of any Vaidya or Hakim—

(a) who has been sentenced by a Criminal Court [1][* * * *] to imprisonment for an offence declared by [2][State Government] to involve such moral turpitude as would render the entry or continuance of his name in the register undesirable, or

(b) whom the Board or a Committee specially authorized for the purpose after inquiry at which opportunity has been given to him to be heard in his defence and to appear either in person or by counsel, vakil, pleader or attorney, and which may in the direction of the Board, be held in *camera* has found guilty of professional misconduct or other

1. The words [in British India] omit. by the A. O. 1950.
2. *Subs.* by s. 3 (b) of U. P. Act no. VII of 1956

(ख) ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता यथापूर्वोक्त पर्याप्त गारन्टी नही है, तो बोर्ड निदेश दे सकेगा कि ––

(1) खण्ड (क) में उल्लिखित दशा में ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो इस निमित्त विहित की जाय, अपना नाम, यथास्थिति, वैद्यों, हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा, या

(2) खण्ड (ख) में उल्लिखित दशा में ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति उस रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार न होगा ।

और तदुपरान्त इससे अनुबद्ध अनुसूची तद्नुसार परिवर्तित की हुई समझी जाएगी ।

चिकित्सा संस्थाओं से जानकारी मांगने की बोर्ड की शक्ति

29–बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह ऐसे चिकित्सा निगम, परीक्षण निकाय या अन्य संस्थाओं के जो अनुसूची में सम्मिलित हों या सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हों, शासी निकाय या प्राधिकारियों से ––

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां या अन्य जानकारी भेजने की मांग करे जिनकी बोर्ड, उनमें चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म के सम्बन्ध में दिए जाने वाले शिक्षण की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षा करे ; और

(ख) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग करे जिनसे ऐसे चिकित्सा निगम, परीक्षण निकायों या अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त बोर्ड का सदस्य उपस्थित हो सके ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों से अपेक्षित सूचना

30–ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो वैद्यों या हकीमों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन दे, रजिस्ट्रार यह समाधान करेगा कि उसे अनुसूची में निर्दिष्ट कोई उपाधि, पदवी या अर्हता प्राप्त है, और वह रजिस्ट्रार को वह दिनांक सूचित करेगा जब उसने ऐसी उपाधि, पदवी या अर्हता जो उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की मांग करने का हकदार बनाती है, प्राप्त की हो और वह रजिस्ट्रार को कोई अन्य ऐसी जानकारी भी देगा जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्य पालन मे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षा करे ।

रजिस्टरों में नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध करने या उसे हटाने का निदेश देने आदि की बोर्ड की शक्ति

31–(1) बोर्ड रजिस्टर में किसी ऐसे वैद्य या हकीम का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा या उससे हटाने का आदेश दे सकेगा ।

(क) जिसे किसी [1][* * * *] दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जो [2][राज्य सरकार] द्वारा ऐसे नैतिक पतन में अन्तर्वलित अपराध घोषित किया गया हो, जिसके कारण रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करना या बनाए रखना अवांछनीय हो , या

(ख) जिसे बोर्ड ने या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत समिति ने ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें उसे अपने प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तो स्वयं अथवा काउन्सेल, वकील, प्लीडर या अटार्नी द्वारा उपस्थित होने का अवसर दिया गया हो और जो बोर्ड के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (इन ब्रिटिश इंडिया) निकाले गए ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

infamous conduct by a majority of at least two thirds of the members present and voting at the meeting.

(2) The Board may direct that the name of any person against whom an order has been made under sub-section (1) shall be entered or re-entered, as the case may be, after having satisfied itself that due to lapse of time or otherwise the disability mentioned in sub-section (1) above has ceased to have any force.

Notice of deaths and erasure of names from register

32. (1) Every Registrar of deaths who receives notice of death of person whose name he knows to be entered in the register of Vaidyas and Hakims, shall forthwith transmit by post or otherwise, to the Registrar of the Board, a certificate of such death, signed by him and stating particulars of the time and place of death.

(2) On receipt of such certificate, or other reliable information regarding such death, the Registrar shall remove the name of the deceased person from the register.

Penalty on unregistered person representing that he is registered

33. If a person whose name is not entered in the register of Vaidyas and Hakims falsely pretends that it is so entered or uses in connexion with his name or title, any words or letters representing that his name is so entered, he shall whether any person is actually deceived by such representation or not, be punishable on conviction by a magistrate of the first class, with imprisonment [1][which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.]

Procedure inquiries and appeals

34. For the purpose of any inquiry held under clause (b) of sub-section (1) of section 31, the Board or the committee, as the case may be, shall exercise the powers of a commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1950 and the provisions of sections 5, 8 to 10, 14 to 16, 19 and 20 of the said Act shall, so far as may be, apply to every such inquiry and appeal.

Publication of names entered in the register of Vaidyas and Hakims

35. (1) The Registrar shall, in every year from time to time as occasion may require, on or before a date to be fixed in this behalf by the Board, cause to be published in the official Gazette and in such other manner as the Board may prescribe, a full or supplementary list of the names for the time being entered in the register and setting forth —

(a) all names entered in the register arranged in alphabetical order ;

(b) the registered address and appointment held by, or actual employment of, each person whose name is entered in the register ; and

(c) the registered titles and qualifications of each such person.

---

1. *Subs.* by s. 17 of U. P. Act VII of 1956.

कम से कम दो–तिहाई सदस्यों के बहुमत से व्यावसायिक दुराचरण या अन्य निन्दनीय आचरण का दोषी पाया हो ।

(2) बोर्ड अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि समय बीतने या किसी अन्य कारण से उपधारा (1) में उल्लिखित निर्योग्यता का कोई प्रभाव नही रह गया है, यह निदेश दे सकेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, रजिस्टर में, यथास्थिति, प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट कर लिया जाय ।

मृत्यु की सूचना और रजिस्टरों से नामों का काटा जाना

32–(1) मृत्यु सम्बन्धी प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिले जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह वैद्यों और हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टतियां देते हुए, ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र बोर्ड के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा या अन्यथा अविलम्ब भेजेगा ।

(2) उक्त प्रमाण–पत्र या ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा देगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने को रजिस्ट्रीकृत निरूपित करने पर शास्ति

33–यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम वैद्यों तथा हकीमों के रजिस्टर मे प्रविष्ट न हो, मिथ्या यह बहाना करेगा कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या पदवी के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करेगा जिनसे यह निरूपण हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह चाहे ऐसा निरूपण करने से कोई व्यक्ति वास्तव मे प्रवंचित हो या नही, प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर, [1][कारावास से जो छः महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा या दोनों से,] दण्डनीय होगा ।

जाँच तथा अपीलों में प्रक्रिया

34–धारा 31 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी जांच के प्रयोजन के लिये, यथास्थिति, बोर्ड या समिति पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिनियम पर धारा 5, 8 से 10, 14 से 16, 19 तथा 20 के उपबन्ध, यथासंभव ऐसी प्रत्येक जांच तथा अपील पर लागू होंगे ।

वैधों तथा हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट नामों का प्रकाशन

35–(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष और समय–समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत दिनाँक को या उसके पूर्व सरकारी गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो बोर्ड विहित करे, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों की पूर्ण या अनुपूरक सूची प्रकाशित करायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी हुई होंगी ––

(क) रजिस्टर में प्रविष्ट समस्त नाम जो वर्णक्रमानुसार होंगे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट हो, रजिस्ट्रीकृत पता और उसकी नियुक्ति या उसका वास्तविक सेवायोजन ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत पदवियां तथा अर्हताएं ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Provided that the Register shall from time to time get published in the official Gazette, the names of such practitioners whose names have been duly removed under any of the provisions of this Act.

(2) In any proceeding it shall be presumed that every person entered in such list is a registered practitioner and that any person not so entered is not a registered practitioner ;

[1] [* * * *]

Powers and duties of the Board

[2]**[36.** The Board shall have the following powers and duties, namely —

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine research and post-graduate education ;]

[3][(2) to accord, suspend or withdraw, on the recommendations of the Faculty, recognition to training centers imparting instruction in para-medical courses ;]

(3) to publish the results of the examinations conducted by the Faculty ;

[4][(4) "to grant diplomas or certificates to candidates who are successful at the Board's examination ;]

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Board's examinations ;

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties] ;

[5][(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Systems of medicine and surgery as may be consistent with the provisions of the Act ;]

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act ; and

(9) [6][* * * *]

Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine

36-A. (1) For the proper discharge of its duties and functions as a teaching and examining body in the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine the Board shall appoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following —

(i) the President of the Board who shall be *ex-officio* Chairman of the Faculty ;

---

1. Proviso omit. by s. 18 of U.P. Act VII of 1956.
2. *Subs.* by s. 19 of U. P. Act VII of 1956
3. *Subs.* by s. 4 (a) of U. P. Act 35 of 1975.
4. *Subs.* by s. 4 (b) of U. P. Act 35 of 1975.
5. *Subs.* by s. 4 (c) *ibid.*
6. *Omit.* by s. 5 (d) *ibid.*

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों के नाम समय–समय पर सरकारी गजट में प्रकाशित करायेगा जिनके नाम इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन यथाविधि हटा दिये गये हों ।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारण की जायगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट न हो, रजिस्ट्रीकृत, चिकित्सा व्यवसायी नही है ।

[1][* * * *]

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

[2][**36–** बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात् ––

(1) राज्य सरकार को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित विषयों के बारे में, जिनके अन्तर्गत शोध और स्नातकोत्तर शिक्षा भी है, सलाह देना ;]

[3][(2) अनुचिकित्सीय पाठ्य–क्रम में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को संकाय की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता निलम्बित करना या वापस लेना ;]

(3) संकाय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना ;

[4][(4) बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना; निर्धारित फीस उद्ग्रहीत करना ;]

(5) बोर्ड की परीक्षाओ मे प्रवेश के लिये विनियमों में निर्धारित फीस उद्ग्रहीत करना ;

(6) संकाय को उसके कर्तव्यों के सम्पादन के लिये पर्याप्त धनराशि आंवटित करना ;

[5][(7) आयुर्वेदिक तथा युनानी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म के विकास के लिये ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों ;]

(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जायें ।

[6][(9) * * * *]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों की संकाय

36–क– (1) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्यापन तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्तव्यों और कृत्यों का उचित रूप से निर्वहन करने के लिये बोर्ड, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियो की एक संकाय नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखिति होंगे ;

(1) बोर्ड का अध्यक्ष जो संकाय का पदेन अध्यक्ष होगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 18 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 11956 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उपर्युक्त की धारा 5 (घ) द्वारा निकाला गया ।

(ii) members of the Board elected under clauses (iii), (iv) and (v) of sub-section (I) of section 5, who shall be *ex-officio* members of the Faculty ;

(iii) one member to be elected by the members of the Board from amongst themselves ; and

[1] [(iv) the Director of Ayurvedic and Unani Services, Uttar Pradesh.]

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than two members for a specified duration and a specific purpose.

(3) The Faculty shall elect a Vice-President from amongst its members.

[2][(4) A member referred to in clause (iii) of sub-section (1) shall cease to be a member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board.]

Powers and duties of the Faculty

36-B. [3][(I)] The Faculty shall have the following powers and duties ;

[4][(a) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in training centers recognized by the Board ;

(b) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in a training center recognized by the Board ;

(c) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the training centres recognized by the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;]

(d) to appoint examiners ;

[5][(e) to cause inspection of training centers recognized by the Board ; and

(f) to make recommendations to the Board for the accord of recognition to or the suspension or withdrawal of recognition of training centers.]

(g) [6][* * * *]

---

1. *Subs.* by S. 5 (a) of U.P. Act No. 35, 1975.
2. *Subs.* by S. 5 (b) *ibid.*
3. Section 36 B renumbered as sub-section (1) thereof by S. 6 of U. P. Act 35 of 1975.
4. *Subs.* by S. 6 (a) (i) *ibid.*
5. *Subs.* by S. 6 (a) (ii) of U. P. Act No. 35 of 1975.
6. *Omit.* by S. 6 (iii) (a) *ibid.*

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (3), (4) तथा (5) के अधीन बोंर्ड के निर्वाचित सदस्य जो संकाय के पदेन सदस्य होंगे ;

(3) एक सदस्य जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा ; और

[1][(4) निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश ।]

(2) संकाय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन या उसकी अपेक्षा पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये दो से अनधिक सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।

(3) संकाय अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी ।

[2][(4) उपधारा (1) के खण्ड (3) में निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड का सदस्य न रह जाने पर संकाय का सदस्य न रह जायगा ।]

संकाय की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

36–ख– [(1)**]**[3] संकाय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे ––

[4]**[**(क) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण देने के लिये आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन का पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षायें लेना जिन्होंने बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केन्द्र में पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ग) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर किये गये आवासिक तथा अनुशासनिक प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके छात्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना ;]

(घ) परीक्षकों को नियुक्त करना ;

[5][(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराना ; और

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने के लिये बोर्ड से सिफारिशें करना ।]

[6][(छ) * * * *]

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 6 द्वारा धारा 36 (ख) की उपधारा (1) के रूप में पुर्नसंख्यांकित ।
4. उपर्युक्त की धारा 6 (क) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1975 की धारा 6–क (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उपर्युक्त की धारा 6–क (3) द्वारा निकाला गया ।

[1][(2) the Registrar shall function as the Secretary of the Faculty.]

Disagreement between the Faculty and the Board.

[2][**36-C.** In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter referred to in section 36-B a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final.]

Making of regulations

37. Subject to the provisions of this Act and to the rules framed by the [3][State Government] thereunder, the Board may [4][after previous publication] frame regulations for regulating the following matters, namely —

[5][(1) (a) conditions on which institution may be recognized for the purposes of registration under section 28 ;

(b) the admission of trainees to the training center recognized by the Board ;

(c) the conditions under which trainees shall be admitted to the diploma and certificate courses and to the examinations of the Board, and shall be eligible for the grant of such diploma and certificate ;

(d) the conditions of residence of the trainees in the training centers recognized by the Board and the levying of fees for such residence ;

(e) the number, qualifications and emoluments of teachers of the training centers recognized by the Board ;

(f) the fees to be charged for courses of study in such training centers and for admission to the examinations, diplomas and certificates of the Board ;

(g) the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct of examinations ;

Provided that in framing regulations, the Board shall take into consideration the financial and other existing conditions of the training centers generally :

Provided further that no regulation shall be framed under any of the sub-clauses (a) to (g) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty.]

(2) (a) the time and place at which the meetings shall be held ;

(b) the issue of notices convening such meetings ;

(c) the conduct of business threat;

---

1. *Ins.* by S. 6 (b) of U.P. Act No. 35 of 1975.
2. *Subs.* by S. 7 *ibid.*
3. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)
4. *Ins.* by S. 21 (1) of U. P. Act VII of 1956.
5. Subs. by s. 8 of U. P. Act 35 of 1975.

[1][(2) रजिस्ट्रार संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।]

[2]**[36**–ग–(1) धारा 36–ख में निर्दिष्ट किसी विषय पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने की दशा में बोंर्ड उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।] **संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद**

37–इस अधिनियम के उपबन्धों तथा [3][राज्य सरकार] द्वारा तद्धीन बनायें गये नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने के लिये, [4][पूर्व प्रकाशन के पश्चात्] विनियम बना सकेगा, अर्थात् : –– **विनियम बनाना**

[5] [(1) (क) वे शर्ते जिन पर संस्थाओं को धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान की जा सकेगी ;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश ;

(ग) वे शर्ते जिनके अधीन प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेशित किये जायेंगे तथा ऐसे डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र दिये जाने के पात्र होंगे ;

(घ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास को शर्ते और ऐसे आवास के लिये फीस उद्गृहीत करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उपलब्धियां ;

(च) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों के लिये तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश करने तथा डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्र के प्रदत्त करने के लिये ली जाने वाली फीस ; और

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्ते तथा ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षा का संचालन ;

प्रतिबन्ध यह है कि विनियम बनाते समय बोर्ड सामान्यतया प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय तथा अन्य विद्यमान दशाओं का ध्यान रखेगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) से (छ) तक के किसी भी उपखण्ड के अधीन कोई विनियम, उस सिफारिश पर ही बनाया जायेगा जो संकाय द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जिसे विहित किया जाय, अन्यथा नहीं ।]

(2) (क) वह समय और स्थान जब और जहां बैठकों की जायेंगी ;

(ख) ऐसी बैठकों को बुलाने के लिये नोटिसों का जारी किया जाना ;

(ग) उनमें कार्य संचालन ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 6 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) the salary, allowances and other conditions of services of officers and servants of the Board other than the Registrar ;

(e) all other matters which may be necessary for the purposes of carrying out the objects of this Act ;

(3) all such regulations shall be published in the official Gazette [1][and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government ;]

(4) the [2][State Government] may by notification in the official Gazette [3][cancel or modify] any regulation.

Disposal of fees

38. All fees received by the Board on account of registration of Vaidyas and Hakims and admission to the Board's examinations [4][***] under this Act shall be credited to the Board and shall be applied for the purposes of this Act in accordance with the rules.

Qualified practitioner's certificates

39. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force —

(1) The expression "legally qualified medical practitioner" or "duly qualified medical practitioner" or any word importing that person is recognized by law as medical practitioner or member of medical profession shall, in all Acts in force in [5][Uttar Pradesh] and in all [6][Central Acts] in their application to [5][Uttar Pradesh] in so far as such Acts relate to any of the matters specified in List II ro List III in the Seventh Schedule to [7][the Constitution] be deemed to include a registered practitioner.

(2) A certificate required under any law or rule having the force of law from any medical practitioner or medical officer shall be, valid, if such certificate has been granted by a registered practitioner.

(3) A registered practitioner shall be eligible to hold any appointment as a physician or other medical officer in any Ayurvedic or Unani dispensary, hospital, infirmary or lying-in-hospitals supported by or receiving a grant from the [8][State Government] or in any public establishment, body or institution dealing with such systems of medicine.

(4) A registered practitioner shall be entitled to —

(a) sign or authenticate a birth or death certificate required by any law or rule to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner ;

---

1. Add. by s. 21 (3) of U. P. Act VII of 1956.
2. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)
3. *Subs.* by S. 21 (4) of U.P. Act No. VII of 1956.
4. *Omit.* by S. 22 of U. P. Act VII of 1956.
5. *Subs.* by A. O. 1950 for (United Provinces.)
6. *Subs.* by A. O. 1950 for (Acts of the Central Legislature.)
7. *Subs.* by *ibid* for the [Government of India Act, 1935.]
8. *Subs.* by A. O. 1950 [Provincial Legislature.]

(घ) रजिस्ट्रार को छोड़कर बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ;

(ङ) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ;

(3) ऐसे समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे [1][और वे तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न कर दी जाय ;]

(4) [2][राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी विनियम को [3] [रद्द या उपान्तरित] कर सकेगी ।

फीसों का व्ययन

38–इस अधिनियम के अधीन वैद्यों और हकीमों के रजिस्ट्रीकरण तथा बोर्ड की परीक्षाओं [4][* * *] में प्रवेश के संबंध में बोर्ड द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण फीस बोर्ड के नाम जमा की जायगी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियमों के अनुसार उपयोग में लायी जायगी ।

अर्ह चिकित्सा व्यवसायियों के प्रमाण–पत्र

39–तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ––

(1) [5][उत्तर प्रदेश] में प्रवृत्त समस्त अधिनियमों में तथा [5][उत्तर प्रदेश] में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समस्त [6] [केन्द्रीय अधिनियमों] में, वहां तक जहाँ तक कि ऐसे अधिनियमों का संबंध [7][संविधान] की सप्तम अनुसूची में सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों मे से किसी विषय से हो, पद "वैध रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी" या "यथाविधि अर्ह चिकित्सा व्यवसायी" के अथवा किसी ऐसे शब्द के, जिसका यह आशय हो कि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यताप्राप्त है, बारे में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी भी है ।

(2) किसी विधि के या विधि का बल रखने वाले किसी नियम के अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारों से अपेक्षित कोई प्रमाण–पत्र वैध होगा, यदि ऐसा प्रमाण–पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रदान किया गया हो ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय, चिकित्सालय, रूग्णावास या प्रसवाश्रय मे जो [8][राज्य सरकार] द्वारा घोषित हो या उससे अनुदान पा रहा हो या किसी ऐसे सार्वजनिक अधिष्ठान, निकाय या संस्था में जिसमें ऐसी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा होती हो, चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस बात का हकदार होगा कि वह ––

(क) जन्म या मृत्यु संबंधी किसी ऐसे प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करे या उसे अधिप्रमाणित करे जिस पर किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो यथाविधि अर्ह हो, हस्ताक्षर किया जाना या उसे अधिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित हो ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 22 द्वारा निकाला गया ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेंज) के लिये प्रतिस्थापित ।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (ऐक्ट्स आफ दि सेंट्रल लेजिस्लेचर) के लिये प्रतिस्थापित ।
7. उपर्युक्त द्वारा (गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935) के लिये प्रतिस्थापित ।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

(b) sign or authenticate a medical or physical fitness certificate required by any law or rule to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner ;

(c) give evidence at any inquest or in any Court of Law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 on any matter relating to medicine, surgery or midwifery.

[1][(d) The registered practitioners of Ayurvedic or Unani System of Medicine holding the qualifications mentioned in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Act no. 48 of 1970) shall be eligible to practice the modern system of medicine known as allopathic medicine to the extent of training they have received in the system and notified by the State Government along with the Ayurvedic or Unani Medicine in which they are registered in the State Register.]

Reservation of certain appointments to Vaidyas and Hakims who have qualified themselves from educational institutions affiliated to the Board

[40. Except with the special sanction of the State Government, no person other than Vaidya or Hakim who has qualified himself or herself from an institution affiliated to the Board or who holds a degree in Ayurvedic Unani Tibbi systems of medicine from a University established by law in Uttar Pradesh and is a domiciled resident of this State shall be competent to hold an appointment as medical officer of health or as physician or other medical officer in an Ayurvedic or Unani hospital, infirmary, dispensary or lying-in-hospital maintained by or under the control of the State Government or local authority ;

[2]**[**Provided that Vaidyas and Hakims in the employ of the State Government or a local authority specified above on the date on which this Act comes into force shall continue to hold the said appointments.]

Exemption from serving on inquest Act V of 1898

41. (1) Notwithstanding anything in any other law for the time being in force every registered practitioner shall be exempts, if he so desires, from serving on any inquest or as a Juror or assessor under the Code of Criminal Procedure, 1898.

U. P. Act III of 1917 U. P. Act IV of 1910

(2) The registered practitioners shall have the same privileges as the medical practitioners registered under the United Provinces Medical Act, 1917 have under the United Provinces Excise Act, 1910 or any other Act for the time being in force.

Rules

42. (1) The [3][State Government] may, after previous publication, from time to time make rules consistent with this Act, to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the [3][State Government] may make rules for any of the following matters ;

---

1. *Ins.* by *sec.* 2 of U. P. Act no. 10 of 2015.
2. *Subs.* by s. 9 of U. P. Act XXXV of 1975.
3. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)

(ख) किसी ऐसे चिकित्सा या शारीरिक स्वस्थता प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करे या उसे अधिप्रमाणित करें जिस पर किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो यथाविधि अर्ह हो, हस्ताक्षर किया जाना या उसे अधिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित हो ;

(ग) किसी मृत्यु समीक्षा में, या किसी न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में, चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म से संबंधित किसी विषय पर साक्ष्य दे ।

[1][(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 48 सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हता रखने वाले आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, आधुनिक चिकित्सा पद्धती, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक पात्र होंगे जहॉ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है ।]

कतिपय नियुक्तियों का वैद्यों और हकीमों के लिये आरक्षण

[40–राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय किसी ऐसे वैद्य या हकीम से जो बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था से अर्हता प्राप्त हो या जिसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त, आयुर्वेदिक या यूनानी–तिब्बी चिकित्सा–पद्धति में उपाधि हो और जो इस राज्य का अधिवासित निवासी हो, भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, रूग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रय में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या उसके नियंत्रणाधीन हो, किसी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम न होगा :

[2][प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वैद्य तथा हकीम जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को राज्य–सरकार या ऊपर निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवायोजन में हों, उक्त पदों पर बने रहेंगे।]

मृत्यु समीक्षा में कार्य करने से छूट

41–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहे, किसी मृत्यु समीक्षा में कार्य करने या दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन जूरी सदस्य या असेसर का कार्य करने से छूट होगी ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1917
संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1910

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्राप्त है।

नियम

42–(1) [3][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लियें, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम से संगत नियम, समय–समय पर बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना [3][राज्य सरकार] निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय के संबंध में नियम बना सकेगी;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

(a) the time at which and the place and manner in which election shall be held under section 5 ;

(b) regulation of elections under this Act ;

(c) the conduct of and the maintenance of correct minutes of meetings of the Board ;

(d) the manner, in which vacancies shall be filled under section 13 ;

(e) the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar ;

(f) the form of the register of Vaidyas and Hakims, to be maintained under this Act and the classifications of practitioners in two or more classes according to their qualifications ;

(g) fees chargeable under this Act and their applications ;

(h) the manner in which appeals against the decision of the Registrar shall be heard by the Board under section 27 ;

(i) expenses payable to members of the Board and its President ; and

(j) remuneration to be paid to the President ;

(k) the furtherance of any objects of the and its President ; and

(l) the furtherance of any other objects of the Board.

(3) All such rules shall be published in the official *Gazette*.

Appeals to State Government from decision of Board

43. (1) An appeal shall lie to the [1][State Government] from every decision of the Board under this Act, except a decision made by the Board as an appellate authority.

(2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months of the date of such decision.

Bar to suit and other legal proceedings

44. (1) No suit or other legal proceeding shall lie against the [1][State Government], in respect of an act done in the exercise of the powers conferred by this Act.

(2) No suit or other legal proceeding shall be maintainable against the Board or any member or any officer or servant of the Board or any person acting under the direction of the Board or of the President or of any officer or servant of the Board in respect of anything done under this Act, lawfully and in good faith and with reasonable care and attention.

Mode of proof of Board's records

45. A copy of any proceeding, receipt, application, plaint, notice, order, entry in a register, or other document in the possession of the Board shall, if duly certified by the Registrar or other person

1. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)

(क) यह समय, जब और वह स्थान जहाँ तथा वह रीति जिससे धारा 5 के अधीन निर्वाचन किये जायेंगे ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का विनियिमन ;

(ग) बोर्ड की बैठकों का संचालन और उनका सही–सही कार्यवृत्त रखा जाना ;

(घ) वह रीति जिससे धारा 13 के अधीन रिक्तियां भरी जायेंगी ;

(ङ) रजिस्ट्रार का वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) वैद्यों और हकीमों के उस रजिस्टर का प्रपत्र जो इस अधिनियम के अधीन रखा जायगा तथा अर्हताओं के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों का दो अथवा दो से अधिक वर्गों में वर्गीकरण ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीसें तथा उनका उपयोग मे लाया जाना ;

(ज) वह रीति जिससे रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध की गयी अपीलों की धारा 27 के अधीन बोर्ड द्वारा सुनवाई की जायेगी ;

(झ) बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष को देय व्यय ;

(ञ) अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ;

(ट) अध्यापन तथा परीक्षण निकाय के रूप में बोर्ड के किन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ;

(ठ) परिषद् के किन्हीं अन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ।

(3) ऐसे समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील

43–(1) अपील प्राधिकारी के रूप में बोर्ड द्वारा दिये गये विनिश्चय के सिवाय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा दिये गये प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध [1][राज्य सरकार] को अपील की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायेगी ।

वाद तथा अन्य विधिक कार्य बहियों का वर्जन

44–(1) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य के संबंध में [1][राज्य सरकार] के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से और सद्भावपूर्वक तथा समुचित सावधानी से और ध्यानपूर्वक किये गये किसी भी कार्य के संबंध में बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या सेवक के या बोर्ड या उसके अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी ।

बोर्ड के अभिलेखों के सबूत का ढंग

45–किसी ऐसी कार्यवाही, रसीद, आवेदन, नक्शे, नोटिस, आदेश, रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज की, जो बोर्ड के कब्जे मे हो, प्रतिलिपि, यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा, यथाविधि प्रमाणित हो, ऐसी

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

authorized by the Board in this behalf, be received as *prima facie* evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the entry or document and of the matters therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters.

Restriction on the summoning of Board's servants to produce documents

46. No member or officer or servant of the Board shall, in any legal proceeding to which the Board is not a party, be required to produce any register or document or to appear as a witness to prove the matters recorded therein, unless by order of the Court made for special reasons.

Control of Board by State Government

47. If at any time it shall appear to the [1][State Government] that the Board has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it under this Act or has failed to perform a duty imposed upon it by this Act, the [1][State Government] may, if it considers such failure, excess, or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Board ; and if the Board fails to remedy such default, excess or abuse within such time as may be fixed by the [1][State Government] in this behalf, the [1][State Government] may dissolve the Board and cause all or any of the power and duties of the Board to be exercised and performed by such agency and for such period as it may think fit :

Provided that it shall take steps within six months to constitute a new Board under the provisions of this Act.

Court competent to try offences under this Act and cognizance of offences

48. (1) No court other than the court of a Magistrate of the first class shall take cognizance of, or try an offence under this Act.

(2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing of an officer empowered by rules made in this behalf.

PART III

Power of the State Government to enforce the provisions of Part III

49. The [1][State Government] may at any time after the expiry of one year from the date on which Parts I and II come into force, by notification published in the official *Gazette*, apply the provisions of this Part or any portion thereof to the whole or any part of the [2][State] from such date as is notified therein :

Provided that the [1][State Government] shall give wide publicity to the notification in such other manner also as it deems proper.

List of practitioners

50. (1) After the publication of the notification mentioned in section 49 the Registrar shall prepare and keep a list called a "list of persons in practice belonging to the indigenous system" on such date as is mentioned in said notification.

1. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)
2. *Subs.* by *ibid* for (Province)

प्रविष्टि या दस्तावेज के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप मे ग्रहण की जायगी, और ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के और उसमें अभिलिखित विषयों के साक्ष्य के रूप में ऐसे प्रत्येक वाद में उस सीमा तक ग्रहण की जायेगी जिसमें और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, उस दशा में जब उसे पेश किया जाता, ऐसे विषयों को साबित करने के लिये ग्राह्य होती ।

बोर्ड के प्रेषकों को दस्तावेज पेश करने के लिये बुलाने पर निर्बन्धन

46–किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड पक्षकार न हो, बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या सेवक से किसी रजिस्टर या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा नही की जाएगी जब तक कि विशेष कारणों से न्यायालय द्वारा ऐसा करने का आदेश न दिया गया हो ।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड पर नियंत्रण

47–यदि किसी समय [1][राज्य सरकार] को वह प्रतीत हो कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने उसका अतिलंघन अथवा दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा है तो [1][राज्य सरकार] यदि ऐसी असफलता, अतिलंघन या दुरुपयोग को गंभीर प्रकार का समझे तो वह उनकी विशिष्टियां बोर्ड को अधिसूचित कर सकेगी ; और यदि बोर्ड उतने समय के भीतर जो [राज्य सरकार][1] इस निमित्त नियत करे, ऐसे व्यक्ति क्रम, अतिलंघन या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहे तो [1][राज्य सरकार] बोर्ड को विघटित कर सकेगी और बोर्ड को समस्त या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिये करा सकेगी, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नया बोर्ड संघटित करने के लिये छः मास के भीतर कार्रवाई करेगी।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये सक्षम न्यायालय तथा अपराधों का संज्ञान

48–(1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का न तो संज्ञान करेगा, न उसका विचारण करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

भाग–3

भाग 3 के उपबन्धों को प्रवृत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

49–[1][राज्य सरकार] भाग 1 तथा 2 के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के या उसके किसी अंश के उपबन्धों को सम्पूर्ण [2][राज्य] में या उसके किसी भाग में, ऐसे दिनांक से लागू कर सकेगी जो उसमें अधिसूचित किया जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि [1][राज्य सरकार] उस अधिसूचना का ऐसी अन्य रीति से भी जिसे वह उचित समझें, व्यापक प्रचार करेगी ।

चिकित्सा व्यवसायियों की सूची

50–(1) रजिस्ट्रार धारा 49 में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् उस दिनांक को जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, एक सूची तैयार करेगा और रखेगा, जो "देशी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की सूची" कहलायेगी ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त द्वारा प्राविन्स के लिये प्रतिस्थापित ।

(2) Every person, not being a person qualified for registration under this Act, who within a period of one year from the date from which this Part comes into force proves to the satisfaction of the Registrar that he has been in regular practice of the Indian system of medicine or surgery or midwifery or any of their branches in this [1][State] on the date mentioned in the notification under sub-section (1) shall be entitled to have his name entered in the aforesaid list on payment of five rupees.

(3) The provisions of sub-sections (2) and (4) of section 26, sub-sections (2), (3), (4) of section 27, and sub-section (1) of section 31, shall, so far as may be, apply to this list.

Prohibition of practice

51. No person other than a practitioner registered under Part II of the Act or person whose name is entered in the list mentioned in section 50 shall practice or hold himself out, whether directly or by implication as practicing or as being prepared to practice the [2][Ayurvedic and Unani Tibbi system of medicine] surgery or midwifery :

Provided that the [3][State Government] may, by notification in the official *Gazette*, direct that the provisions of this section shall not apply to any class of persons or in a specified area.

Penalty

52. Any person who acts in contravention of the provisions of section 51 shall on conviction for each offence be punishable with fine, which may extend to two hundred rupees.

53. [4][* * * *]

54. [5][* * * *]

Conferring, granting of issuing diploma, license etc., by unauthorized institution

55. (1) No person other than an association or institution recognized or authorized by the Board under this Act shall confer, grant or issue or hold itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma, license, certificate or other document stating or implying that the holder, grantee, or recipient is qualified [6][in or otherwise entitled to practice] the [2][Ayurvedic and Unani Tibbi system of medicine].

(2) Whoever contravenes the provisions of this section shall on conviction be punishable with fine [7][with imprisonment not exceeding six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both] and if the person so contravening is an association, every member of such association who knowingly and willfully authorizes or

---

1. *Subs.* by A.O. 1950 for (Provincial Govt.).
2. *Subs.* by s. 3 (a) of U.P. Act No. VII of 1956.
3. *Subs.* by A. O. 1950 for (Provincial Govt.)
4. Section 53 *omit.* by s. 23 of U. P. Act VII of 1956.
5. Section 54 *omit.* by s. 24 *ibid.*
6. *Subs.* by s. 25 (1) of U.P. Act No. VII, 1956.
7. *Subs.* by s. 25 (2) *ibid.*

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्ह व्यक्ति न हो, इस भाग के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित दिनाँक को इस [1][राज्य] में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी पद्धतियों की चिकित्सा या शल्य कर्म या धात्री कर्म का या उनकी शाखाओं में से किसी शाखा का नियमित रूप से चिकित्सा व्यवसाय करता रहा है, पांच रूपये का भुगतान करके पूर्वोक्त सूची में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा ।

(3) धारा 26 की उपधारा (2) तथा (4), धारा 27 की उपधारा (2), (3) तथा (4) और धारा 31 की उपधारा (1) के उपबन्ध यथाशक्य, इस सूची के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

उन व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किये जाने का प्रतिषेध जिनके नाम सूची में हों

51–इस अधिनियम के भाग 2 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम धारा 50 में उल्लिखित सूची मे प्रविष्ट हो, भिन्न कोई व्यक्ति [2][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] से चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म का न तो व्यवसाय करेगा, न प्रत्यक्ष अथवा विवक्षित तौर पर यह प्रकट करेगा कि वह ऐसा व्यवसाय कर रहा है या करने के लिये तैयार है :

प्रतिबन्ध यह है कि [3][राज्य सरकार] सरकारी गजट मे अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध किसी वर्ग के व्यक्ति पर या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में लागू नही होंगे ।

शास्ति

52–कोई व्यक्ति, जो धारा 51 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, प्रत्येक अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

53– [4][* * * *]

54– [5][* * * *]

अप्राधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा, लाइसेंस आदि का प्रदत्त किया जाना, अनुदत्त किया जाना या दिया जाना

55–(1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था से भिन्न कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज, जिसमें यह लिखा हो या जिससे यह विवक्षित होता हो कि उसका धारक, गृहीता या प्राप्तिकर्ता [1][आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धती] [में अर्ह है या अन्यथा उसके अनुसार चिकित्सा करने का हकदार है,][6] न तो प्रदत्त करेगा, न अनुदत्त करेगा न देगा, न यह प्रकट करेगा कि वह उसे प्रदत्त करने, अनुदत्त करने या देने का हकदार है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्ध होने पर, [7][कारावास से, जो छः मास से अधिक का न होगा, जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा या दोनों से] दण्डनीय होगा, और यदि इस प्रकार उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम हो तो ऐसे संगम का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुए और जानबूझकर ऐसे

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 23 द्वारा धारा 53 निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 24 द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 25(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उपर्युक्त की धारा 25 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

permits the contravention shall on conviction be punishable with fine, [1][with imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both].

False assumption of degree, diploma or certificates to be an offence

56. Whoever voluntarily and falsely assumes or uses any title or description or any addition to his name implying that he holds a degree, diploma, license or certificate conferred, granted or issued by any association or institution recognized or authorized by the Board under this Act or that he is qualified to practice the Indian system of medicine under the provisions of this Act, shall on conviction be punishable with fine which may extend to fifty rupees for the offence under the first offence under this section and to fine which may extend to two hundred rupees for every subsequent offence.

THE SCHEDULE

[*See* sections 27, 28, 29 and 30]

Persons who are entitled to have their names entered in the register of Vaidyas, Hakims —

1. Vaidyas and Hakim who hold a degree or certificate or any Government Ayurvedic or Unani College or school within [2] [Uttar Pradesh] or outside it, or degree in Indian medicine or surgery or midwifery of any University established by law in India.

2. [3][Vaidyas and Hakims who hold a degree or diploma granted by the Board.]

3. Vaidyas or Hakims who have passed an examination from any Ayurved or Unani Institution in the [2][Uttar Pradesh] or outside it recognized by the Board for purposes of registering.

[4][* * * *]

---

1. *Subs.* by *sec.* 25 (2) of U.P. Act No. VII of 1956.
2. *Subs.* by A. O. 1950 for the (United Provinces).
3. *Subs.* by s. 26 (a) of U. P. Act VII of 1956.
4. *Del.* by s. 26 (b) *ibid.*

उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वह दोष सिद्ध होने पर [1][कारावास से, जो तीन मास से, अधिक का न होगा या जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक हो सकेगा या दोनो से] दण्डनीय होगा ।

नकली उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र का ग्रहण करना अपराध होगा

56–कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से और मिथ्यापूर्वक कोई ऐसी पदवी या विवरण या अपने नाम के साथ कोई ऐसा परिवर्धन ग्रहण करेगा या उसका उपयोग करेगा जिससे यह प्रकट होता हो कि वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था द्वारा प्रदत्त की गई, अनुदत्त की गई या दी गई कोई उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस या प्रमाण–पत्र धारण करता है या वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अर्ह है, वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो इस धारा के अधीन प्रथम अपराध के लिये पचास रूपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अनुसूची

[धारा 27, 28, 29 और 30 देखिये]

वैद्यों और हकीमों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के हकदार व्यक्ति ––

1– ऐसे वैद्य और हकीम, जो [2][उत्तर प्रदेश] के भीतर या उसके बाहर के किसी राजकीय आयुर्वेदिक या यूनानी महविद्यालय अथवा विद्यालय की उपाधि या प्रमाण–पत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति या शल्य कर्म या धात्री कर्म की उपाधि धारण करते हों ।

2– [3][ऐसे वैद्य और हकीम जो बोर्ड द्वारा अनुदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा धारण करते हों ।]

3– ऐसे वैद्य और हकीम, जो [2][उत्तर प्रदेश] की या उसके बाहर की किसी ऐसे आयुर्वेदिक या युनानी संस्था से परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए हों जो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

[4][* * * *]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 25 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 26 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 26 (ख) द्वारा निकाला गया ।